



प्रेस नोट 01- दिनांक 26.06.2024 थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.06.2024 को श्रीमती शीबू सिंह पत्नी कमल सिंह निवासी ग्राम बकू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव के घर में घुसकर मारपीट व उनके पति श्री कमल सिंह पर जानलेवा हमला करने के करने के संदर्भ में थाना अजगैन में मु0अ0सं0 173/24 धारा 147/148/307/452/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 14.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजय सिंह पुत्र स्व0 नौरंग सिंह निवासी बकूखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 26.06.2024 को प्र0नि0 अजगैन श्री अवनीश कुमार सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवा सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 बकू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष मुखबिर की सूचना पर टोल प्लाजा नवाबगंज से पहले नव निर्मित चण्डीगढ यूनिवर्सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. शिवा सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 बकू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. SHO श्री अवनीश कुमार सिंह
2. का0 अभय कुमार चौहान
3. का0 यशवीर सिंह





प्रेस नोट 02- दिनांक 26.06.2024
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

गैर इरादतन हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.06.2024 को थाना कोतवाली सदर पर वादी मुकदमा श्री अवधेश कुमार पुत्र रामप्रसाद नि० भग्गाखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 405/24 धारा 143/147/323/504/506 भादवि० बनाम 01.राजकुमार , 02. जीतेन्द्र पुत्रगण रामेश्वर , 03. शिवम , 04. हेप्पी पुत्रगण स्व० लखपति , 05.सुशील , 06. सुनील पुत्रगण मत्ते नि०गण भग्गाखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र स्व० सरदार को गालिया देतु हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ०नि० श्री इन्द्रदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना दिनांक 25.06.2024 को वादी श्री अवधेश कुमार द्वारा लिखित तहरीर देकर सूचित किया गया कि पिता रामप्रसाद की मृत्यु दौरान इलाज दिनांक 25.06.2024 को हैलट अस्पताल कानपुर में हो गयी है। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 304 भादवि बढोत्तरी करते हुए नामित अभियुक्तगण राजकुमार, जितेन्द्र कुमार साहू, शिवम साहू व शुभम साहू को घटना में प्रयुक्त तीन बांस के डंडे व एक अदद ईंट बरामद कर दयालखेड़ा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1 राजकुमार साहू पुत्र रामेश्वर नि० भग्गाखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 43 वर्ष
- 2जितेन्द्र कुमार साहू पुत्र रामेश्वर नि० भग्गाखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष
- 3शिवम साहू पुत्र स्व० लखपति नि० भग्गाखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
- 4शुभम साहू उर्फ हैपी पुत्र स्व० लखपति नि० भग्गाखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त तीन बांस के डंडे व एक ईंट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ०नि० श्री इन्द्रदेव उपाध्याय चौकी प्रभारी मगरवारा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
हे०का० प्रशान्त मिश्रा
का० विमलेश पटेल
का० नरेन्द्र यादव

